ग्राम पंचायत हाटकोट, विकास खण्ड कुनिहाऱ, जिला सोलन के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच (5)–सी (15) एलएडी/2006–12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत हाटकोट, विकास खण्ड कुनिहाऱ, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान

क्रम संख्या	प्रधान	अवधि
1	श्री राजेन्द्र ठाकुर	1.4.2014 से 22.1.2016
2	श्रीमती सुनीता ठाकुर	23.1.2016 से अद्यतन

सचिव

क्रम संख्या	पंचायत सचिव	अवधि
1	श्री बाबू राम वर्मा	1.4.2014 सं 31.3.2017

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रम सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7 (i)	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	17.30
2	8 (i) तथा (ii)	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	6.49 (6.24+0.25)
3	10 (i) तथा 10 (ii)	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय/व्यय करना	30.10 (19.85+10.25)

4	13	अनियमित रूप से की अग्रिम राशि जारी करना	0.50
5	15 (ii)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	17.71

भाग–दो

2 ग्राम पंचायत हाटकोट के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, हाटकोट में किया गया। लेखा परीक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 02/15, 04/15 तथा 03/17 तथा व्यय हेतु माह 02/15, 01/16 तथा 07/16 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत हाटकोट के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 36 दिनांक 24.5.2017 द्वारा इस राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदानः–

(i) ग्राम पंचायत हाटकोट के स्व स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	109422.10	7221059	7330481.10	7297683	32798.10
2015–16	32798.10	6787293	6820091.10	6094608	725483.10
2016–17	725483.10	4560430	5285913.10	3073493	2212420.10

(परिशिष्ट "क")

(ख) मनरेगाः–

ग्राम पंचायत हाटकोट के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** पर है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	0	10725	10725	10725	0
2015–16	0	40290	40290	40290	0
2016–17	0	63220	63220	63220	0

परिशिष्ट "क"

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य थी। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी को तैयार न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹163258 का अन्तर दर्शाया गया था जिसका समाधान शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष	दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष	अन्तर
1	स्व स्त्रोत तथा अनुदान	2212420.10	2049162.10	163258.00

(क) दिनांक 1.4.2014 को आरम्भिक शेषों का विवरण (तुलन पत्र 2013–14 के अनुसार)

शीर्ष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	राशि/शेष
सामान्य	JCC Bank Kunihaar	1114/100134001005319	44711.77 (Dr.)
	JCC Bank Kunihaar	2356/101034065453	70342 (Dr.)
	SBOP Kunihaar	55134649080	13047 (Dr.)
	SBOP Kunihaar	49080/6761	19102.77 (Cr.)
		6761	263 (Dr.)
	SBOP Kunihaar		18
	हस्तगत शेष (सामान्य)		64
-do-	हस्तगत शेष (12^{th} FC)		79.10
	हस्तगत शेष (SGRY)		
		Total	**109422.10**
Manerga	JCC Bank Kunihaar	2034/101034001003037	0.00

दिनांक 31.3.17 को अन्तिम शेषों का विवरण

शीर्ष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष
सामान्य	JCC Bank Kunihaar	1114/100134001005319	1574138.77 (Dr.)
	JCC Bank Kunihaar	2356/101034065453	28808 (Dr.)
	SBOP Kunihaar	55134649080	463604(Dr.)
	SBOP Kunihaar	49080/6761	24151.77 (Cr.)
	SBOP Kunihaar	6761	263 (Dr.)
	हस्तगत शेष (सामान्य)		6357
–यथोपरि–	हस्तगत शेष (12^{th} FC)		64
	हस्तगत शेष (SGRY)		79.10
		Total	**2049162.10**
Manerga	JCC Bank Kunihaar		0.00

नोटः– दिनांक 31.3.2017 को अन्तिम शेष पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किये गये है।

(ख) वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र में दर्शाए गए विभिन्न बैंकों के आरम्भिक शेषों सम्बन्धी अनियमितताएंः–

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बैंकों के आरम्भिक शेषों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर निमनलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) तुलन पत्र में सामान्य रोकड़ बही का दिनांक 31.3.2014 को नगद शेष ₹18 दर्शाया गया था परन्तु रोकड़ बही में 31.3.2014 को शेष शून्य था। स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) तुलन पत्र के अनुसार 31.3.14 को मनरेगा का शेष ₹6798 था परन्तु मनरेगा की वित्तीय स्थिति में आरम्भिक शेष शून्य दर्शाया गया था। स्थिति स्पष्ट की जाए।

(iii) ग्राम पंचायत द्वारा स्वस्त्रोत तथा अनुदानों से सम्बन्धित वितीय स्थिति के आरम्भिक तथा अन्तिम शेष में 12th FC तथा SGRY के हस्तगत रोकड़ शेष क्रमशः ₹64 तथा ₹79.10 सम्मिलित किये थे। अंकेक्षण के दौरान इन मदों से सम्बन्धित बैंक पास बुकें तथा वित्तीय स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

(ग) बैंक तथा डाक घर खातों में दिनांक 31.3.2017 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

कई बार आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित बैंकों/डाक घर में दिनांक 31.3.2017 को उनमें जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र बैकों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण इन खातों में दिनांक 31.3.2017 को दर्शाए गए शेषों के सही होने सम्बन्धी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

बैंक का नाम	खाता संख्या	31.3.2017 को जमा राशि
SBOP कुनिहार	6761	263
SBOP कुनिहार	49080/6761	24151.77 (C.R.)
JCC बैंक कुनिहार	2034/101034001003037	0

6 रोकड़ बही के रख रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

(i) रोकड़ बहियों के रख रखाव बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। माहों के अन्त में नियमानुसार प्रधान द्वारा नियमित रूप से प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। रोकड़ बही में कई प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया था कई प्रविष्टियों में कटिंगस की गई थी तथा अधिकतम वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या नहीं लिखी गई थी। कई प्रकरणों में पाया गया कि रोकड़ बही में भुगतान से सम्बन्धी बिलों की संख्या एवं दिनांक सम्बन्धी विवरण नहीं भरा जा रहा था तथा केवल भुगतान बिल के अनुसार की प्रविष्टि की गई थी। जबकि भुगतान से सम्बन्धित बिल की संख्या तथा दिनांक रोकड़ बही में की जानी चाहिए। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (1, 2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से किया जाए।

(ii) निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हस्तगत रूप में निम्न विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा रखा गया था, जोकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। प्रत्येक प्राप्ति को बैंक में जमा करवाया जाना चाहिए तथा सभी भुगतान बैंक के माध्यम से ही किये जाने चाहिए केवल Imprest की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	**राशि**
3.4.14	1300
5.5.14 से 7.5.14	2944
7.7.14 से 13कृ14	3170
22.9.14 से 12.10.14	4948, 3548, 3568, 8288, 10888, 4878
22, 23 तथा 24.12.14	2383, 1673,1014
23,24,25 तथा 26.2.16	3430,4975, 3875, 1607
8, 9, 10, 11, 14, 15 तथा 16.3.16	4817, 6607, 14807, 8807, 7306
12.5.16 से 27.10.16	4081, 2579, 2294, 8404, 8504, 7504, 9074, 8684, 10184, 9779, 5804, 4889, 5989, 5239, 5557, 6257, 6257, 7557, 12057, 7057, 6667, 5469, 11719, 6719, 4799, 5749, 6775, 8775, 8377, 8977, 7977, 7037, 6895, 6846, 6246, 10556, 9064, 8149
9.11.16 से 15.11.16	18665, 2715, 3815
21.11.16 से 31.12.16	6808, 3808, 2398, 4398, 2033, 3783, 2852
16.1.17 से 31.3.17	3094, 1294, 3294, 2394, 2872, 1407, 3307, 15307, 3307, 5807, 3307, 5307, 11507, 11157, 6157, 6357

7 अनुदानः–

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹17.30 लाख का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹1730438 शेष

दर्शाई गई थी। जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कायों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु वह जारी की गई राशियों उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वह जारी की गई थी, के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव तथा नियमित रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्वः–

(क) पंचायत राजस्व की ₹6.24 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹624551 (22800+188800+15000+397951) राजस्व की कम वसूली की थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹624551 की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

(i) गृहकरः—

वित्त वर्ष	परिवारों की सं0	गृहकर का निर्धारित रेट (वार्षिक)	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृहकर
2014—15	493	10	—210	4930	4720	400	4320
2015—16	501	20	4320	10020	14340	1720	12620
2016—17	509	20	12620	10180	22800	0	22800

(ii) दुकानों का किरायाः—

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृहकर
2014—15	5700	170400	176100	156200	19900
2015—16	19900	251600	271500	174400	97100
2016—17	97100	252600	622700	433900	188800

(iii) मोबाईल टावर शुल्कः—

आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	प्राप्ति	बकाया
8000	2000	10000	0	10000
10000	2500	12500	0	12500
12500	2500	15000	0	15000

(iv) सफाई टैक्सः—

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृहकर
2014—15	58125	240000	298125	257044	41081
2015—16	41081	240000	281081	241000	40081
2016—17	40081	594000	634081	236130	397951

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा गृह कर, सफाई टैक्स, दुकानों तथा मोबाईल टावर के किराए की मांग तथा प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख जिससे इनकी बकाया, प्राप्तियों तथा शेषों से सम्बन्धित स्थिति स्पष्ट हो का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा था। इस कारण दिनांक 1.4.14 तथा 31.3.2017 को गृहकर, सफाई टैक्स, दुकानों तथा मोबाईल टावर की वसूली हेतु बकाया राशियों की सही स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा न तो गृह कर, मोबाईल टावर/दुकानों के किराए के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये गए न ही दुकानों तथा माबाईल टावरस की संख्या बारे विवरण प्रस्तुत किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹624551 की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

G.P. Hatkot

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर मांग एवं प्राप्ति अभिलेख पूर्ण करके उपरोक्त अन्य अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) ₹0.25 लाख सफाई टैक्स की कम वसूली करनाः—

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को मौखिक रूप से अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत ने प्रति परिवार/दुकान से सफाई टैक्स ₹100 प्रतिमाह निर्धारित किया था। परन्तु चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में ग्राम पंचायत द्वारा सफाई टैक्स की वसूली ₹30, ₹50, ₹100 की दर से की गई थी। जबकि यह वसूली ₹100 निर्धारित टैक्स की दर से की जानी अपेक्षित थी। इस कारण निम्नानुसार ₹25050 सफाई टैक्स की कम वसूली की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा, ₹25050 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	**पृ0सं0**	**माह**	**रसीद सं0**	**जितनी राशि प्राप्त हुई थी**	**जितनी राशि प्राप्त होनी चाहिए थी**	**कम प्राप्त राशि**
सामान्य	71	02/15	215412 से 215500, 215501 से 215600, 215601 से 215734 (कुल रसीदें 323)	19890	32300 (323 परिवार/दुकान)100)	12410
	05	04/15	211253 से 211300, 215901 से 216000, 211301 से 211400 तथा 211401 से 211481 (कुल रसीदें 329)	20260	32900 (329 परिवार/दुकान)100)	12640
					कुल योग	**25050**

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा माह 03/17 में (पृष्ठ संख्या 23, रोकड़ बही सामान्य) रसीद संख्या 259093 से 259100 तक ₹20550 सफाई टैक्स की वसूली की थी। परन्तु यह वसूली कितने परिवारों/दुकानों से की गई इससे सम्बन्धित कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया जिस कारण इस तथ्य की पुष्टि भी नहीं की जा सकी कि यह वसूली निर्धारित टैक्स ₹100 प्रति परिवार/दुकान की दर से की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही तथा विवरण आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) शराब उपकर तथा भू–राजस्व की वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायत को 2016–17 के दौरान शराब उपकर की तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान भू–रास्जव की सम्बन्धित विभागों से प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभागों से वसूली करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएंः–

ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध की गई जानकारी के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) परिशिष्ट द्वारा उपलब्ध जानकारी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार क्रम संख्या 1 (माह 07/16) तथा 1 (माह 02/15) में दर्शाए गए निर्माण कार्यों हेतु भुगतान इन कार्यों के लिए स्वीकृत/मूल्यांकित राशि से अधिक राशि का किया गया था जोकि अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कार्य का मूल्यांकन	निर्माण पर किया गया व्यय	निर्माण कार्य पर अधिक व्यय
C/O Community toilet near patvaar Khana	150000	150000	152418	2418
C/O hospital Bhavan	4000000	जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई	4243700	243700
			कुल योग	**246118**

(ii) (क) अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट "ग"** में वर्णित निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृतियाँ, प्राकलन/आकलन तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके फलस्वरूप किये गये भुगतान की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी।

परिशिष्ट "ग" के अनुसार	निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनकी प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति नहीं दर्शाई गई	निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनकी तकनीकी स्वीकृति नहीं दर्शाई गई	निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनके प्राक्कलन नहीं दर्शाए गए	निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनकी सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई
माह 02/15 (निर्माण कार्य क्रम संख्या 1 से 4)	क्रम संख्या 1 से 4 की	क्रम संख्या 1 से 4 की	क्रम संख्या 1 से 4 का	क्रम संख्या 1 से 4 का
माह 01/16 (निर्माण कार्य क्रम संख्या 1से 5)	क्रम संख्या 1 से 5 की	क्रम संख्या 1 से 5 की	क्रम संख्या 1 से 5 का	क्रम संख्या 1 से 5 का

(iii) निर्माण कार्यों के संशोधित प्राक्कलन (revised estimate) तैयार न करनाः–

व्यय के पड़ताल के दौरान कुछ निर्माण कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिका (6835, पृष्ठ संख्या 88 तथा 89) के अवलोकन पर पाया गया कि निर्माण कार्य "C/O smiti gate" हेतु excavation in foundation, P/I 1:3:6 तथा Steel work मदों का निष्पादन दर्शाया गया गया था। जबकि निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार निर्माण कार्य हेतु 6 मदों (Excavation in foundation P/I 1:6:12 P/I 1:2:4, providing form work with steel plates, providing mild mild steel, 15mm cement plaster) का निष्पादन किया जाना था। चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि यह बदलाव site condictions को ध्यान में रख कर किया गया था। जिससे स्पष्ट है कि निर्माण कार्य का निष्पादन प्राक्कलन में वर्णित मदों के अनुसार नहीं किया गया था तथा यह भी प्रतीत होता है कि प्राकलन में वर्णित मदों के अनुसार नहीं किया गया था तथा यह भी प्रतीत होता है कि प्राकलन वास्तविक site condictions का ध्यान में तैयार करके बनाया ही नहीं गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

(iv) माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी (Material consumption statement) पूर्ण रूप से नहीं बनाई जा रही थी। माप पुस्तिकाओं में तैयार की गई सामग्री उपयोग विवरणियों में केवल विभिन्न सामग्रियों की खपत दर्शाई जा रही था। इनमें विभिन्न मदों में निर्माण सामग्रियों की खपत (consumption) निकालने हेतु consumption factors का विवरण नहीं दिया जा रहा था। अतः भविष्य में सामग्री उपयोग विवरणी (Material

G.P. Hatkot

consumption statement) पूर्ण रूप से तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्यों में उपयोग की गई निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि की जा सके।

(v) यह भी पाया गया कि माप पुस्तिका (6835) में कई निर्माण कार्यों के आरम्भ तथा समाप्ति होने की तिथियों की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय सम्बन्धी अनियमितताएंः—

(i) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹19.85 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार ₹1985258 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। जिन कुछ प्रकरणों में अवतरनें (Quotations) प्राप्त की गई थी वह न तो उनके उपर दैनिकी संख्या अंकित की गई थी तथा नही क्रय sub committee (नियम 67 (3) द्वारा सत्यापित की गई थी। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि यह कोटेशन्स सीलबन्द भी नहीं थी जिस कारण कोटेशन्स संग्रहण उपरान्त क्रय करने/कार्य करवाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	02/15	65	33406	बेल्डिंग तथा सीलिंग वर्क
			100000	—यथोंपरि—
		66	3000	कूड़ा उठाने हेतु
		67	33000(5500X6) (वार्षिक भुगतान लगभग 396000 (33000X12 माह)	सफाई व्यवस्था हेतु सफाई कर्मियों को मासिक भुगतान

		2000	कूड़ा उठाने हेतु
	68	70000	कूड़ा करकट उठाने हेतु मेस्ढ योगेश रोड लाईन को भुगतान
		52406	बिजली का सामान
		47594	बल्डिंग का कार्य
	69	130000	टाईल्स का क्रय
		35000	ईटें
		100000	स्टील
		50000	पेंट का सामान
	70	30000	ईटें
		113811	टाईल्स
		49000	सफेदी के कार्य हेतु
		35000	इंटें
		2189	सीमेंट का किराया
	71	4000	सफाई टैक्स एकत्रित करने हेतु कमीशन का भुगतान
		11550	CFL लाईटस
		67000	बिजली फिटिंग सम्बन्धी सामान का क्रय
	72	27400	सीमेंट प्राईमर पेंट आदि
		31180	रेत, सीमेंट आदि
01／16	65	520000	स्टील
		4000	पेंट
		2500	दरवाजा
	66	41000	रेत, सीमेंट, स्टील आदि
		33000	स्टील
		15000	स्टील, सीमेंट आदि
		16000	रेत, रोडी आदि
		49000	टाईल्स
		128000	स्टील
		11298	रेत, रोडी शेटरिंग आदि
07／16	97	3000	सफाई टैक्स एकत्रित करने हेतु कमीशन का भुगतान
	98	35000 (7000X5) (वार्षिक भुगतान लगभग 420000 (35000X12 माह)	सफाई व्यवस्था हेतु सफाई कर्मियों को मासिक भुगतान
	101	50000	वाटर फिटिंग, टाईल्स, पेंट आदि

	2893	कमरे का किराया था बिजली का बिल
	1198	एन्टीवायरस
102	4550	वाटर टैक्स
104	6500	वाटर फिटिंग चार्जिज
	15000	दरवाजे, रोशन दान आदि
	1119	शेटरिंग
	13864	स्टील
	4800	पेंट, गेट आदि
कुल योग	**1985258**	

(ii) कूडा उठाने से सम्बन्धित ₹10.25 लाख के बिलों के भुगतान बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पचांयत द्वारा हाटकोट से कुणी खड तथा बशील नाला पर कूडा उठा कर फिंकवाने के लिए योगराज रोड लाईन, डाक खाना कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन को निम्नानुसार ₹1025000 का भुगतान किया गया थाः—

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	बिल संख्या तथा तिथि	राशि	टिप्पणी
स्वः स्त्रोत तथा अनुदान	01/16	65	50 दिनांक 6.4.12	235000 (235 (टिप्पर)x1000 (प्रति टिप्पर)	अवधि 4.7.11 से 31.3.12 तक
			86 दिनांक 10.4.13	317000 (317 (टिप्पर)x1000 (प्रति टिप्पर)	अवधि 1.4.12 से 31.3.13 तक
			430 दिनांक 20.4.14	260000 (520 (ट्रेक्टर)x500 (प्रति ट्रैक्टर)	अवधि 1.4.13 से 13.1.14 तक
			493 दिनांक 18.6.15	164000 (328 (ट्रेक्टर)x500 (प्रति ट्रैक्टर)	अवधि 1.4.14 से 31.11.14 तक
			727 दिनांक 2.12.15	2200 (44 (ट्रेक्टर)x500 (प्रति ट्रैक्टर)	अवधि 28.8.15 से 30.11.15 तक
			735 दिनांक 2.1.15	27000 (54 (ट्रेक्टर)x500 (प्रति ट्रैक्टर)	अवधि स्पष्ट नहीं
			कुल योग	**1025000**	

इन बिलों के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः—

(i) हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (5) में प्रावधित **₹**50000 से उपर क्रय/व्यय करने हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था।

(ii) कार्य करवाने के लगभग एक से चार वर्ष बाद बिलों का भुगतान किया गया जिसका कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित आवश्यक अभिलेख जिसमें कूड़ा उठा कर गिरवाने सम्बन्धी विवरण दर्ज हो कर रख रखाव ही नहीं किया गया था।

(iv) चार वर्ष उपरान्त भुगतान करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं था अंकेक्षण के दौरान ऐसा अभिलेख नही प्रस्तुत किया गया जिससे यह जाँच की जा सके कि वास्तव में उक्त कार्य किया गया था।

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अथवा इन अनियमितताओं को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। मामला उच्चधिकारियों के ध्यान में भी लाया जाता है।

11 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि अधिकतम क्रय की गई सामग्री तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान की एवज में पावतियाँ प्राप्त नहीं की गई थी। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
सामान्य (स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	02/15	72	27400	सीमेंट प्राईमर, पेंट आदि
			31180	रेत, सीमेंट आदि
		71	11550	रसीद में कटिंग की गई थी। स्थिति स्पष्ट की जाए।

	01/16	65	520000	स्टील
			4000	पेंट
			2500	दरवाजा
वाटर शेड (IWMP)		66	41000	रेत, सीमेंट स्टील आदि
			33000	स्टील
			15000	स्टील, सीमेंट आदि
			16000	रेत, रोडी आदि
			49000	टाईल्स
			128000	स्टील
			11298	रेत, रोडी शेटरिंग आदि
	07/16	104	15000	दरवाजे रोशन दान आदि
			13864	स्टील
			4800	पेंट, गेट आदि
		98	7000	सफाई कर्मी श्री राम चरण से पावती प्राप्त नहीं की गई थी
		99	270000 (90000X3)	BDO कुनिहार में राशि जमा/रसीद नहीं दर्शाई गई

12 ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई ₹0.75 लाख के स्वीकृति पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करनाः—

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को आवास योजना (IAY) के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ₹75000 जारी की गई थी परन्तु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास निर्माण कार्य हेतु जारी स्वीकृति पत्र तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाए गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृ0सं0	माह	राशि (₹)
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	67	1/16	37500
			37500
		कुल योग	**75000**

13 अनियमित रूप से ₹0.50 लाख की अग्रिम राशि जारी करनाः–

यह प्रतीत होता है कि विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु राशि जारी करते समय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 107 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है। नियम में दिए गए निर्देशों के अनुसार पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों कार्यान्वियन हेतु राशियाँ participatory body या Registered body के माध्यम से जारी की जानी अपेक्षित है। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर आये व्यय का भुगतान मस्टर रोल तथा सामग्री के वास्तविक बिलों बिलों के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु निम्नलिखित प्रकरण में पाया गया कि निजी फर्म को अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थी जबकि नियमित में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाने के साथ–2 इस राशि का समायोजन भी आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए। भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	अग्रिम राशि	टिप्पणी
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	02/15	66	50000	मैसर्ज योग राज रोड लाईन

15 ₹0.49 लाख का अनियमित भुगतानः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि माह 01/16 में (सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 66) फ्लोर तथा वाल टाईल्स 111 डिब्बे क्रय हेतु ₹49000 (बिल का आंशिक भुगतान कुल ₹75500) का भुगतान किया गया था। परन्तु बिल संख्या 222 दिनांक 01.06.15 (अरोडा सेनिटेशन कुनिहार) पर क्रय की गई टाईल्स के रेटस बारे विवरण दर्ज नहीं था। एक ओर जहां क्रय करने से पूर्व हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखं, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 में प्रावधित स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की क्रय औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई दूसरी ओर रेटस की जानकारी के बिना ही ₹49000 का भुगतान अनियमित है। इस प्रकार के प्रकरण न केवल ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं बल्कि लापरवाही भी दर्शाते है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तुस्थिति एवं अपेथ्क्षत कार्यवाही उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 स्टोर/स्टॉकः–

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) ₹17.71 लाख की क्रय स्थाई एवं अस्थाई मदों की भण्डार रजिस्टरों मे स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत निम्न तालिकानुसार क्रय की गई विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई। जिसके अभाव में क्रय किये गये सामान की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं। ग्राम पंचायत के अनुसार स्टॉक सामग्री रजिस्टर पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया दिया जाएगा।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान	02/15	65	33406	बेल्डिंग तथा सीलिंग वर्क
			100000	यथोपरि
			52406	बिजली का सामान
			47594	बेल्डिंग का कार्य
		69	130000	टाईल्स का क्रय
			35000	ईटें
			100000	स्टील
			50000	पेंट का सामान

	70	30000	ईटें
		113811	टाईल्स
		35000	ईटें
	71	11550	ब्ध्स लाईटस
		67000	बिजली फिटिंग सम्बन्धी सामान का क्रय
	72	27400	सीमेंट प्राईमर, पेंट आदि
		31180	रेत, सीमेंट आदि
01/16	65	520000	स्टील
		4000	पेंट
		2500	दरवाजा
	66	41000	रेत, सीमेंट स्टील आदि
		33000	स्टील
		15000	स्टील सीमेंट आदि
		16000	रेत, रोडी आदि
		49000	टाईल्स
		128000	स्टील
		11298	रेत, रोडी शेटरिंग आदि
	68	634	स्टेशनरी
07/16	101	50000	वाटर फिटिंग टाईल्स पेंट आदि
	102	1198	एन्टीवायर
	104	15000	दरवाजे, रोशन दान आदि
		1119	शेटरिंग
		13864	स्टील
		4800	पेंट, गेट आदि
	105	350	स्टील ग्लास
		200	ताला
	कुल योग	**1771310**	

16 विविधः—

(i) रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की

पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। साथ ही रसीद बुक रजिस्टर के स्तम्भों को पूर्ण से नहीं भरा जा रहा था तथा रजिस्टर में रसीद बुकों के शेषों से सम्बन्धित स्थिति भी नहीं दर्शाई जा रही थी। एक से अधिक रसीद बुकों को साथ–2 इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ रसीद की प्रविष्टियाँ भी क्रमानुसार नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियतिताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करना:–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पचांयत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) बजट आंकलन (Budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारे:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत की आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर (Minutwes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही पंचायत का अनुमोदन कर इसे पारित करवाया गया था। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि वित्त वर्ष 2016–17 से सम्बन्धित बजट आकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आकलन निर्देशानुसार विहित फार्म "11" पर निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किये जाए।

(iv) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

(i) मस्टररोल संख्या 23257 ₹25200 (रोकड़ बही सामान्य, पृष्ठ संख्या 66 माह 01/16) के अवलोकन पर पाया गया कि क्रम संख्या 5 पर दर्शाए गए श्रमिक (श्री राम शेर) को ₹4500 (25 दिन 1.6.15 से 25.6.15)ग180) का भुगतान किया गया था। मस्टर रोल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्रमिक की Attendence पर cutting/over writing की गई थी। यह cutting तथा over writing दिनांक 01 से 03.06.15, 09 से 10. 6.15 15 से 17.6.15 तथा 22.6.15 पर की गई थी। इस प्रकार कुल 9 तिथियों पर cutting/overwriting की थी। दिनांक 23.6.15 को श्रमिक अनुपस्थित था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1800 (10 दिनX180) की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) इसके अतिरिक्त कई प्रकरणों में मस्टर रोल्स पर निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा निर्माण कार्यों का सत्यापन नहीं किया गया था। तथा कई मस्टर रोल्स पर आवश्यक सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरा गया था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(v) सावधि निवेशः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। लेकिन यह प्रतीत होता हो कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

(vi) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान स्टिेशनरी रजिस्टर (फार्म–28) miscellaneous demand and collection register (फार्म–10) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर (फार्म–9) register of bills received (फार्म–13) Stock

Register of non consumable articles (फार्म–25) Stock Register of consumable articles than stationary and printed material (फार्म–26) माप पुस्तिका रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं कियें गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाएं। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार रजिस्टर का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनको पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारेः–

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(viii) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण भुगतान/जमा/समायोजन सम्बन्धी आवश्यक पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि	विवरण
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	02/15	65	5000	सम्बन्धित भुगतान वाउचर नहीं दर्शाये गये
		68	300000	–यथोपरि–
		69	730	–यथोपरि–
		70	134480	–यथोपरि–
			15520	–यथोपरि–
			150000	–यथोपरि–
	01/16	67	55800	–यथोपरि–
			96200	–यथोपरि–
			45000	–यथोपरि–
			35800	–यथोपरि–
			15500	तकनीकी सहायक को भुगतान परन्तु निर्माण कार्यों की राशि जिस के आधार पर 2**%** का भुगतान किया गया था उससे

			सम्बन्धित अभिलेख नहीं दर्शाया गया
07/16	97	1500	सम्बन्धित भुगतान वाउचर नहीं दर्शाया गया
	103	200	–यथोपरि–
03/17	32	5100	रसीद संख्या 259293 दिनांक 31.3.2017 द्वारा प्राप्त ₹5100 की प्रविष्टि रोकड़ बही की पृष्ठ संख्या 32 पर नहीं पाई गई स्थिति स्पष्ट की जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः–** खातों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 30/2017–खण्ड–1–7264–7267 दिनाँक 23.12.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेशित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहाऱ तहसील कुनिहाऱ जिला सोलन, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत हाटकोट विकास खण्ड कुनिहाऱ तहसील कुनिहाऱ जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

G.P. Hatkot